न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/3555/2002/धौलपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, धौलपुर

अपीलार्थी

बनाम

1 गजेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
2 सुरेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
3 वीरेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह
4 राघवेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह सभी जाति ठाकुर निवासी धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री धूकलराम कसवा, सदस्य

उपस्थितः श्रीमती पूनम माथुर राजकीय अभिभाषक
श्री डूंगरसिंह राठौड वकील एवं
श्री विरेन्द्रसिंह राठौड वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः.29.3.2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.2.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थीगण ने एक वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम झोर स्थित विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 280 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा गत खसरा नम्बर 204 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा जमीदार रणधीरसिंह की आराजी थी। जागीरदार रणधीरसिंह उक्त आराजी पूर्व में रमले पुत्र भोगी चमार से काश्त कराते थे। रमले सन् 1955 में गांव व खेत छोडकर अन्यत्र चला गया तब सम्वत 2013 में वादीगण के पिता राजेन्द्रसिंह ने विवादित आराजी जमीदार रणधीरसिंह से काश्त पर कासिल कर ली तथा करत करने लगे। सम्वत 2026 में जब राजस्थान जमीदारी एवं बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम प्रभाव में आया

तब राजेन्द्रसिंह विवादित आराजी पर बतौर कृषक काबिज काश्त थे। जमीदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 30 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत राजेन्द्रसिंह विवादित आराजी के खातेदार हो गये। वादीगण राजेन्द्रसिंह के वारिसान है। राजस्व अभिलेख देखने पर ज्ञान हुआ कि विवादित आराजी रमले की गैर खातेदारी में अंकित है। जबकि रमले करीब 40 वर्ष पूर्व धौलपुर छोडकर चला गया। प्रतिवादी अपीलार्थी रमले की लावारिसी की कार्यवाही जिला जज के यहां कर दी है तथा वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी है। अतः वाद स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी अपीलार्थी ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 6 तनकियात कायम की तथा निर्णय दिनांक 23.1.2001 से वाद वादीगण खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध वादीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 21.2.2002 से अपील स्वीकार कर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय विवादित भूमि रमले चमार जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। रमले ला औलाद फोत हो जाने से उसकी छोडी गई सम्पति को बहस सरकार लेने के लिए राजस्थान एसचीट अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा की जाकर विवादित भूमि बहस सरकार रिज्यूम करने का आदेश पारित करने हेतु जिला जज, धौलपुर को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण रेफर कर दिया गया है। वादी प्रत्यर्थीगण ने विवादित आराजी तत्कालीन जागीरदार से सम्वत 2013 में काश्त पर लेना व्यक्त किया है परन्तु इसके समर्थन में किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय दिया है जो निरस्त योग्य होने से यह अपील स्वीकार की जावें

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि पर सम्वत 2013 से वादी प्रत्यर्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसे स्वंय अपीलार्थी भी स्वीकार करता है। जागीरदार द्वारा विवादित भूमि रमले को काश्त हेतु दी गई थी परन्तु रमले 1955 में खेत व गांव छोडकर चला गया जिससे सम्वत 2013 में वादीगण के पिता ने जागीरदार से काश्त हेतु प्राप्त की एवं निरन्तर करते चले आ रहे हैं। रमले का नाम अनुचित रूप से राजस्व

अभिलेख में दर्ज कर दिया गया। जागीर रिज्यूमशन अधिनियम की धारा 30 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय जागीर अधिग्रहित होने के समय वादीगण काबिज काश्त होने से स्वतः खातेदार बन गये। जिससे वादीगण खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सभी तथ्यों का विवेचन कर निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण ने विवादित भूमि सम्वत 2013 में जागीरदार से काश्त हेतु प्राप्त करना कथन कर वाद प्रस्तुत किया है। परन्तु इसके समर्थन में वादीगण प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। यह भी स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय वादीगण विवादित भूमि पर काबिज काश्त नहीं थे। रमले पुत्र भोगी चमार काबिज होने से विवादित भूमि रमले के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गई। वादीगण स्वंय को कृषक कहकर आये है एवं रमले का उपकृषक होना नहीं मानते हैं।

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। विचारण न्यायालय ने सभी तथ्यों का तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत एवं न्यायोचित है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्यों का तनकीवार विवेचन नहीं किया है एवं उक्त कानूनी प्रावधान को ध्यान में रखे बिना ही आलौच्य निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.2.2002 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.1.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धोकलराम कसवा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य